भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1380

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

1380. श्री तनुज पुनियाः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लेकिन औपचारिक क्षेत्र के कार्यबल में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में महिला श्रम कार्यवल भागीदारी दर कितनी है और वैश्विक औसत की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(घ) औपचारिक कार्यबल, औपचारिक रोजगार और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ)**:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2019-20 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पे-रोल डेटा से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अकेले 2024-25 के दौरान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 26.9 लाख महिला सदस्य जुड़े, जो औपचारिक रोज़गार की ओर झुकाव को दर्शाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसरों और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के अंतर्गत केन्द्र सरकार नियोजित महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है, अर्थात्:

I. भूमिगत के ऊपर किसी खदान में कार्यरत महिलाओं के मामले में, खदान का मालिक महिलाओं को भूमि के ऊपर खदान में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तैनात कर सकता है, जिसमें खुली खदान में काम करना भी शामिल है;
II. भूमिगत किसी खदान में कार्यरत महिलाओं के मामले में, खदान का मालिक महिलाओं तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता (ओएसएच), 2020 में प्रावधान हैं कि महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है, जो सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी अन्य शर्तों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं सहित उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

सरकार, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 'पालना' घटक कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत डे-केयर की सुविधाएं प्रदान करना और बच्चों की सुरक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना है। पालना के अंतर्गत मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह-शिशु गृह (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बच्चों की देखभाल की निशुल्क सेवाएं प्रदान की हैं।

सरकार ने "नव्या" (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक और उभरती नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण से लैस करना है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका" जारी की। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूलन उपाय शामिल हैं।

केंद्रीय बजट (2024-25) में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

*****